बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश संख्या- 16 *पटना, दिनांक-* 11.04.2018

जिला अनुकम्पा समिति, पटना के दिनांक-03.02.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-VI-10/2018-193/स्था0 दिनांक-07.02.2018 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma), पिता-स्व0 योगेन्द्र कुमार शर्मा, चालक, कार्यालय उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना वर्त्तमान पता-पृथ्वीपुर, गली नं0-1A, चिड़ैयाटांड़, पटना को वर्ग-03 के पद पर रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने पर वर्ग-04 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) की वर्ग-03 के ***निम्नवर्गीय लिपिक*** के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 19,900-63,200/- में (लेवल-2 मूल वेतन रू0 19,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए कारखाना निरीक्षक (रसायन), बिहार, पटना के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) की जन्म तिथि-03.03.1987 है।

3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

4. श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।

5. श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7. यह नियुक्ति श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।

8. श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।

(i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

10. श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।

(कृ0पृ0उ0)

11. श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) आदेश निर्गत की तिथि से 07 (सात) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई02-216/2018 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आदेश की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि नियुक्ति पत्र को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 10 (दस) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई02-216/2018 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई02-216/2018 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, पटना को ज्ञापांक-VI-10/2018-193/स्था0 दिनांक-07.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई02-216/2018 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना/ कारखाना निरीक्षक (रसायन), बिहार, पटना /स्थापना शाखा (श्रम पक्ष) एवं श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma), पिता-स्व0 योगेन्द्र कुमार शर्मा, चालक, कार्यालय उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना वर्त्तमान पता-पृथ्वीपुर, गली नं0-1A, चिड़ैयाटांड़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री विक्रम कुमार शर्मा (Vikram Kumar Sharma) को निदेश दिया जाता है कि योगदान के समय वे स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ अन्य सभी प्रमाण-पत्रों को भी समर्पित करेंगे।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई02-216/2018 श्र0सं0- 2196 पटना, दिनांक- 12.4.18

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/04/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।